Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी** मुकाम **राशमी**

कलादेवी वगैराह बनाम **गणेश वगैराह**

किस्मा मुकदमा **राजस्व वाद** नं0 **101** सन् **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/12/18	राजस्व वाद पत्र बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता वादी **विनोद आचार्य** हाजिर। वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 19.12.2018 को पेश हो। [signature] (बनवारी लाल) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) राशमी	Dock[illegible]
19/12/18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजिर। हाजिर अधिवक्ता वादी ने आदेशिका पर NOT PRESS अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया है अत: वाद पत्र में वर्णित वादी [illegible] स्तर पर समाप्त की जावे। प्रार्थना पत्र प्रा० पत्रावली देखी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हाजिर अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो के एक तरफा सुना। मनन किया। वादी स्वयं अपना वाद पत्र नहीं चलाना चाहती है ऐसी स्थिति में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को स्वीकार किया जाता है। वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 RTA 1955 को स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद विड्रोल में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। [signature] (बनवारी लाल) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) राशमी	Not press [illegible] V. [illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official